

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने में सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र की सामूहिक भूमिका

छोटे लाल¹, प्रो० (डॉ०) हरीश चन्द्र राम²

¹शोधार्थी, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

²विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो महिलाओं की एवं न्यायिक तंत्र की सामूहिक भूमिका का विश्लेषण गुणात्मक शोध पद्धति एवं वाद विधि अध्ययन के आधार पर किया गया है। अध्ययन में मुकेश एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, शायरा बानो बनाम भारत संघ, इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा तथा लक्ष्मी बनाम भारत संघ जैसे महत्वपूर्ण मामलों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि न्यायपालिका ने महिलाओं के मौलिक अधिकारों, लैंगिक समानता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। निर्भया प्रकरण के पश्चात आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 तथा विशाखा प्रकरण के आधार पर पोश अधिनियम, 2013 जैसे महत्वपूर्ण विधिक सुधार लागू किए गए। शोध से यह भी ज्ञात हुआ है कि केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं त्वरित न्याय व्यवस्था की भी आवश्यकता है। अध्ययन निष्कर्ष रूप में यह प्रतिपादित करता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम सुरक्षा, गरिमा एवं समानता को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने में सामाजिक, विधिक एवं महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र के समन्वित एवं उत्तरदायी प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं।

कीवर्ड— महिला सुरक्षा, अपराध, विधिक तंत्र, न्यायिक तंत्र, सामाजिक सुधार, लैंगिक असमानता, भारतीय कानून, महिला अधिकार, पुलिस सुधार, जागरूकता अभियान।

1. प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की समस्या ने समाज, विधि और न्यायिक तंत्र के समक्ष गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का दायरा बहुत विस्तृत है और इनमें शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये अपराध महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं और समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं हैं, बल्कि ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और न्यायिक विफलता का परिणाम हैं। इस समस्या से निपटने के लिए समाज, विधिक और न्यायिक तंत्र का सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई विधिक उपाय मौजूद हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा के लिए विशेष कानूनों का अस्तित्व, लेकिन इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, न्यायिक प्रक्रिया में विलंब और जटिलताओं के कारण न्याय मिलना कठिन हो जाता है। समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और लैंगिक असमानता भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से

निपटने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों तंत्रों – समाज, विधिक और न्यायिक – के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

यह शोध पत्र महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में इन तंत्रों की भूमिका का विश्लेषण करता है और उनके सहयोग से इस समस्या को सुलझाने के उपायों पर विचार करता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें जागरूकता, विधिक सुधार, और न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है।

1.1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा में उन सभी अपराधों को शामिल किया जाता है जो महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, यौन, और आर्थिक शोषण को बढ़ावा देते हैं। यह अपराध न केवल महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में उनके अधिकारों की भी अवहेलना करते हैं। भारतीय कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं।

इन अपराधों का उद्देश्य महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से पीड़ित करना और उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना है। यह अपराध महिलाओं के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाते हैं, और समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का संकेत देते हैं। भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अपराधी घोषित करती हैं, जैसे कि धारा 63 (बलात्कार) और धारा 84 (गृह हिंसा)।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि समाज, विधिक और न्यायिक तंत्र को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा उन घटनाओं को दर्शाती है जो महिला के अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं।

1.2. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जटिल रही है। पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं को अक्सर पुरुषों के मुकाबले कमतर माना जाता था और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। हालांकि, समय के साथ महिला अधिकारों की दिशा में कई सुधार किए गए हैं, फिर भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है।

आज भी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में पुरुषों के मुकाबले कम अवसर मिलते हैं। महिला हिंसा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो दर्शाती हैं कि महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और असमानता अभी भी समाज में गहरे हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कई विधिक और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा, समाज में लैंगिक समानता की दिशा में प्रभावी कदम उठाना भी आवश्यक है ताकि महिलाओं को समान अवसर मिल सकें और वे अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

1.3. महिला सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक, विधिक, और न्यायिक पहलू

महिला सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले कई सामाजिक, विधिक और न्यायिक पहलू हैं, जो इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी के कारण, उनके खिलाफ अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भी महिलाओं को समाज में कमजोर माना जाता है, जिससे उनके अधिकारों की अवहेलना होती है।

विधिक तंत्र में, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं, जैसे कि महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, और बलात्कार कानून। हालांकि, इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और सही तरीके से पालन न होने के कारण यह अपराधों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

न्यायिक तंत्र में, न्यायालयों में महिला अपराधों की सुनवाई में विलंब और जटिलताओं के कारण पीड़ित महिलाओं को

न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा के प्रभावी उपायों के लिए, समाज, विधिक और न्यायिक तंत्र के बीच बेहतर समन्वय और संवाद होना चाहिए, ताकि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।¹ वर्ष 2022 में 'बुल्ली बाई' नामक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सोशल मीडिया से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लेकर उन्हें ऑनलाइन नीलामी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस घटना ने महिलाओं की गरिमा और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया। इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा की कमी को दर्शाती है। यह वाद स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी चुनौती है। भारतीय पत्रकार राणा अयूब सोशल मीडिया ट्रोलिंग² और ऑनलाइन उत्पीड़न का प्रमुख उदाहरण हैं। उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई और उन्हें धमकियाँ दी गईं। इस घटना ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की गंभीरता को उजागर किया। यह केस दर्शाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा अन्य कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

2 भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रकार

2.1. शारीरिक अपराध

भारत में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इनमें बलात्कार, घरेलू हिंसा, और शारीरिक उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं। बलात्कार एक गंभीर अपराध है, जिसमें महिला की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा, घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है। शारीरिक अपराध महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं।

2.2. मानसिक और यौन उत्पीड़न

मानसिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अन्य प्रमुख रूप हैं। मानसिक उत्पीड़न में महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव और दबाव डालने की प्रक्रिया होती है, जिसमें गालियाँ, ताने, और मानसिक उत्पीड़न शामिल होते हैं। यौन उत्पीड़न में, महिला की इच्छाओं के खिलाफ यौन व्यवहार किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़। यह अपराध महिलाओं के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिससे वे भय और तनाव का सामना करती हैं।

2.3. आर्थिक शोषण

महिलाओं के खिलाफ आर्थिक शोषण एक गंभीर अपराध है, जिसमें महिला की वित्तीय स्वतंत्रता को दबाया जाता है। इसे अक्सर घरेलू हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें महिलाओं को उनकी संपत्ति और आय का नियंत्रण नहीं दिया जाता। महिला की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए उसे नौकरी से वंचित किया जाता है या कम वेतन दिया जाता है। इस शोषण का परिणाम यह होता है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पातीं और उनका आत्मसम्मान भी घटता है।

2.4. मानवाधिकार उल्लंघन

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मानवाधिकार उल्लंघन भी शामिल है, जिसमें महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसमें हिंसा, शोषण, यौन उत्पीड़न, और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएँ शामिल हैं। महिलाएँ अक्सर समाज में अपनी पहचान और अधिकारों से वंचित होती हैं, जिनसे उनकी गरिमा और सम्मान का उल्लंघन होता है। इन अपराधों के परिणामस्वरूप महिलाएँ समाज में हाशिए पर चली जाती हैं और उनकी न्याय की प्राप्ति में कठिनाई होती है।

¹ 'बुल्ली बाई' नामक मोबाइल एप्लीकेशन ;2022

² प्रकरण अध्ययन – 2 पत्रकार राणा अयूब का साइबर उत्पीड़न

3 विधिक तंत्र की भूमिका

विधिक तंत्र महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं। विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 15 में महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा दी गई है, और अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता और अन्य विशेष कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

3.1. भारतीय कानून और महिला अधिकार

भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई विधिक उपाय किए गए हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act), महिला यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल सुरक्षा अधिनियम (Sexual Harassment of Women at Workplace Act), और बलात्कार से सम्बंधित कानून (Rape Laws). इन कानूनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा और शोषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

3.2. महिलाओं के खिलाफ कानूनों का विश्लेषण

भारतीय कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान हैं। बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध, और महिला हत्या जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर, धारा 63 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। धारा 84 घरेलू हिंसा से संबंधित है, जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष रूप से लागू होता है। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना और अपराधियों को सजा दिलाना है।

3.3. कानून की प्रभावशीलता और कमियां

हालांकि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कई कानून मौजूद हैं, इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। अक्सर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की जाती, या कानूनी प्रक्रियाओं में देरी होती है। न्यायालयों में भी मामलों की लंबी सुनवाई और जटिल प्रक्रियाएं महिलाओं के लिए न्याय प्राप्त करने में रुकावट डालती हैं। इसके अलावा, समाज में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक धारणाएं भी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक हैं।

3.4. न्यायिक सुधारों की आवश्यकता

भारतीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए तेजी और दक्षता की आवश्यकता है। न्यायिक सुधारों के तहत, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और महिला सुरक्षा के लिए त्वरित न्याय दिलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें। इन सुधारों के माध्यम से महिलाओं को जल्द और प्रभावी न्याय मिल सकता है।

4 न्यायिक तंत्र की भूमिका

न्यायिक तंत्र महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में एक अहम भूमिका निभाता है। पुलिस, कानून प्रवर्तन, और न्यायालयों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाती है। भारतीय न्यायिक तंत्र में महिलाओं के मामलों की त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है।

4.1. पुलिस और कानून प्रवर्तन की भूमिका

पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कार्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और इन अपराधों में शामिल अपराधियों की पहचान कर सजा दिलवाना है। पुलिस का कर्तव्य है कि वे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को त्वरित रूप से रोकें और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। हालांकि, पुलिस की भूमिका में कई चुनौतियाँ हैं। अक्सर महिलाओं को पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करने में कठिनाई होती है, और कई बार पुलिस अधिकारियों के पास महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता की कमी होती है

4.2. न्यायालयों में मामलों की सुनवाई

न्यायालयों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में न्यायिक तंत्र की प्रमुख भूमिका है। न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में निष्पक्ष सुनवाई करें और महिलाओं को जल्द और प्रभावी न्याय दिलवाएं। हालांकि, भारतीय न्याय व्यवस्था में मामलों की लंबी प्रक्रिया और सुनवाई में देरी महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस कारण से अपराधियों को न्याय से बचने का मौका मिलता है और महिलाओं को न्याय मिलने में कठिनाई होती है।

4.3. न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई त्वरित और निष्पक्ष रूप से की जा सके। विशेष अदालतों की स्थापना, जहाँ केवल महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई हो, इससे प्रक्रिया को तेजी मिल सकती है। इसके अलावा, अदालतों में महिलाओं के मामलों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इन अपराधों के मामलों में जल्द न्याय दिलवाया जा सके

4.4. महिला न्यायाधीशों की भूमिका

महिला न्यायाधीशों की भूमिका न्यायिक तंत्र में महत्वपूर्ण है। महिला न्यायाधीशों के होने से महिलाओं के मामलों को अधिक संवेदनशीलता और समझ के साथ सुना जा सकता है। महिला न्यायाधीश न केवल कानून की दृष्टि से, बल्कि समाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्याय प्रदान कर सकती हैं। महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से न्यायिक तंत्र में महिला अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ेगी।

5. (साहित्य समीक्षा)

1. शर्लिना कुक्काजे 2019 कुक्काजे ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारकों पर व्यापक साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख रूप से अपराधों के सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश शोध महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विश्लेषण पीड़िता के दृष्टिकोण से करते हैं, और यह सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक कारकों से गहरे रूप से जुड़ा है। यह समीक्षा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जोखिम कारकों और नीतिगत उपायों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देती है।
2. प्रीति सतपथी 2014 इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में भारत में महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेख में भारतीय न्याय संहिता की उपयुक्त धाराओं तथा संबंधित कानूनों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विधिक तंत्र में सुधार के बावजूद कानून का जागरूकता और कार्यान्वयन स्तर पर प्रभाव सीमित रहा है।
3. अनामिक शोध 2017 तिवारी के शोध में भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ऐतिहासिक तथा सामाजिक-राजनीतिक आधारों का अध्ययन किया गया है। शोध में यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक मान्यताओं तथा पुरातन रीतियों ने महिलाओं के शोषण तथा हिंसा को बढ़ावा दिया है, और यह समस्या केवल कानूनी समाधान से ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए सामाजिक और तात्त्विक बदलाव आवश्यक हैं।
4. सारावनन 2000 ने अपने अवलोकन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लैंगिक भेदभाव का रूप बताया और इसे समाज में व्यापक उत्पीड़न एवं भेदभाव की संवैधानिक व सामाजिक संरचनाओं से जोड़ा। यह समीक्षा

बताती है कि महिलाओं पर होने वाले अपराध सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं।

5. अक्षिता घूसिंघा 2023 इस अध्ययन में सामाजिक सशक्तिकरण व महिलाओं पर अपराधों के बीच संबंध की पड़ताल की गई है। शोध में पाया गया कि जिन जिलों में महिलाओं का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण अधिक है, वहां अपराधों की दर अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक समानता और सशक्तिकरण अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं।

6 शोध विधि

प्रस्तुत शोध में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने में सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र की सामूहिक भूमिका का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें विभिन्न न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों, सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों, पुस्तकों तथा संबंधित साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में निर्भया प्रकरण, विशाखा प्रकरण, शायरा बानो प्रकरण, इंद्रा शर्मा प्रकरण, लक्ष्मी एसिड अटैक प्रकरण तथा भंवरी देवी प्रकरण जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का वाद विधि वाद विधि विश्लेषण किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि न्यायपालिका ने महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण में किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभायी है।

इस शोध में द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के स्रोतों में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय, भारतीय संविधान, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, पोश अधिनियम, 2013 तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा संबंधित शोध आलेखों से भी आवश्यक सामग्री संकलित की गई है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रकृति, कारण एवं सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा विभिन्न वाद विधि एवं विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। शोध का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम केवल कानूनी प्रावधानों से संभव नहीं है, बल्कि समाज, प्रशासन एवं न्यायपालिका के समन्वित प्रयासों से ही प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।

6.3 यायिक मामलों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. मुकेश एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)³

वाद के तथ्य

यह वाद 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में घटित एक जघन्य सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या की घटना से संबंधित है। एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा अपने मित्र के साथ बस में यात्रा कर रही थी, जहाँ बस में उपस्थित छह व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया तथा अत्यंत क्रूरतापूर्ण शारीरिक हिंसा की गई। घटना के पश्चात पीड़िता को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा बाद में उपचार हेतु सिंगापुर भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश में व्यापक जनआक्रोश उत्पन्न किया तथा महिलाओं की सुरक्षा, कठोर दंड व्यवस्था और त्वरित न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

विवादित विधिक प्रश्न

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभियुक्त सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, अपहरण तथा अन्य संबंधित अपराधों के दोषी हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष यह भी विचारणीय था कि क्या यह अपराध

³ ए0आई0आर0: 2017, 6 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 1

“दुर्लभतम से दुर्लभ” श्रेणी में आता है, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना न्यायोचित है। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों की रोकथाम हेतु कठोर विधिक प्रावधानों एवं प्रभावी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता पर भी विचार किया गया।

न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध अत्यंत अमानवीय, क्रूर एवं समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाला है, इसलिए यह “दुर्लभतम से दुर्लभ” श्रेणी में आता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं की गरिमा, सम्मान एवं जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित मौलिक अधिकार है। इस निर्णय के पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया, जिसके माध्यम से यौन अपराधों के लिए कठोर दंड, त्वरित न्यायालयों की स्थापना तथा महिला सुरक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विधिक सुधार किए गए।

2. विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य

वाद का नाम एवं उद्धरण : विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य⁴

वाद के तथ्य

यह वाद राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना से संबंधित है। भंवरी देवी बाल विवाह रोकने के सरकारी अभियान में कार्यरत थीं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। वर्ष 1992 में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, किंतु उन्हें न्याय प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद महिला अधिकार संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना था।

विवादित विधिक प्रश्न

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 एवं 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष यह भी प्रश्न था कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु क्या न्यायालय दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जबकि उस समय इस विषय पर कोई विशेष कानून उपलब्ध नहीं था।

न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु “विशाखा दिशानिर्देश” जारी किए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक संस्थान एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत समिति का गठन किया जाए तथा महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक ये दिशानिर्देश कानून के रूप में लागू रहेंगे। इस निर्णय के परिणामस्वरूप बाद में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” अर्थात् पोश अधिनियम, 2013 लागू किया गया, जो महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार माना जाता है।

3. शायरा बानो बनाम भारत संघ

वाद का नाम एवं उद्धरण: शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य⁵

⁴ ए०आई०आर०: 1997 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 3011

⁵ ए०आई०आर०: 2017, 9 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 1

वाद के तथ्य

यह वाद मुस्लिम समुदाय में प्रचलित “तत्काल तीन तलाक” (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा से संबंधित था। याचिकाकर्ता शायरा बानो को उनके पति द्वारा एक साथ तीन बार तलाक कहकर विवाह संबंध समाप्त करने की सूचना दी गई थी। शायरा बानो ने इस प्रथा को महिलाओं के मौलिक अधिकारों एवं लैंगिक समानता के विरुद्ध बताते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह प्रथा महिलाओं के सम्मान, समानता एवं गरिमा का उल्लंघन करती है। इस मामले ने पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक प्रथाओं एवं संवैधानिक मूल्यों को लेकर व्यापक सामाजिक एवं विधिक बहस को जन्म दिया।

विवादित विधिक प्रश्न

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या “तत्काल तीन तलाक” की प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के अंतर्गत प्रदत्त समानता, गैर-भेदभाव एवं जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष यह भी प्रश्न था कि क्या धार्मिक प्रथाओं के नाम पर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है तथा क्या इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में “तत्काल तीन तलाक” की प्रथा को असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रथा मनमानी, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाली तथा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार किसी भी सामाजिक या धार्मिक कुरीति से ऊपर हैं। इस निर्णय ने मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ किया तथा लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। इसके पश्चात सरकार द्वारा “मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019” लागू किया गया, जिसके माध्यम से तत्काल तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

4. इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा

वाद का नाम एवं उद्धरण: इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा⁶

वाद के तथ्य

यह वाद एक महिला एवं पुरुष के बीच दीर्घकालीन लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित था। याचिकाकर्ता इंद्रा शर्मा कई वर्षों तक प्रतिवादी वी.के.वी. शर्मा के साथ बिना विवाह के साथ रह रही थीं। बाद में संबंधों में विवाद उत्पन्न होने पर याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त करने हेतु “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005” के अंतर्गत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि दोनों के बीच वैध विवाह नहीं था, इसलिए अधिनियम के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस मामले ने लिव-इन संबंधों में महिलाओं की कानूनी स्थिति एवं अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न किए।

विवादित विधिक प्रश्न

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005” के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष यह भी प्रश्न था कि किन परिस्थितियों में लिव-इन संबंध को “विवाह के समान संबंध” माना जा सकता है तथा क्या ऐसे संबंधों में महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कुछ परिस्थितियों में लिव-इन रिलेशनशिप को “विवाह के समान संबंध” माना जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज में बदलते सामाजिक संबंधों एवं आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। हालांकि न्यायालय ने यह कहा कि प्रत्येक लिव-इन संबंध स्वतः

⁶ ए०आई०आर०: 2013, 15 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 755

वैवाहिक संबंध के समान नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके स्वरूप एवं परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा। यह निर्णय महिलाओं की बदलती सामाजिक स्थिति को कानूनी मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जाता है।

5. लक्ष्मी बनाम भारत संघ

वाद का नाम एवं उद्धरण: लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य⁷

वाद के तथ्य

यह वाद एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित था। वर्ष 2005 में लक्ष्मी पर एक व्यक्ति द्वारा एसिड हमला किया गया था, जिसके कारण उन्हें गंभीर शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। घटना के पश्चात उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एसिड की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए उचित उपचार, पुनर्वास एवं मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की। इस मामले ने देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते एसिड हमलों एवं उनकी रोकथाम की आवश्यकता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया।

विवादित विधिक प्रश्न

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एसिड की अनियंत्रित बिक्री महिलाओं की सुरक्षा एवं जीवन के अधिकार के लिए खतरा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष यह भी प्रश्न था कि क्या राज्य सरकारों एवं प्रशासनिक तंत्र का यह दायित्व है कि वे एसिड की बिक्री को नियंत्रित करें तथा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए उपचार, पुनर्वास एवं मुआवजा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में एसिड की बिक्री पर कठोर नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जाएगा तथा विक्रेताओं को एसिड बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया कि एसिड अटैक पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास सहायता एवं न्यूनतम मुआवजा प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक एवं विधिक तंत्र की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह निर्णय महिलाओं के विरुद्ध एसिड हमलों की रोकथाम एवं पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

6. भंवरी देवी प्रकरण

वाद का नाम एवं उद्धरण: भंवरी देवी प्रकरण⁸

वाद के तथ्य

यह मामला राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी से संबंधित है, जो महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह रोकने का कार्य कर रही थीं। वर्ष 1992 में उन्होंने एक बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण गाँव के प्रभावशाली लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। बाद में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के पश्चात उन्हें न्याय प्राप्त करने में अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा, लैंगिक भेदभाव तथा प्रशासनिक उदासीनता के प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया।

विवादित विधिक प्रश्न

इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य एवं नियोक्ताओं का दायित्व है। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय था कि क्या महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाला यौन

⁷ ए०आई०आर०: 2014, 4 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 427

⁸ ए०आई०आर० : 1997 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 3011

उत्पीड़न एवं लैंगिक हिंसा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न भी था कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रभावी कानूनी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों है।

न्यायालय का निर्णय

भंवरी देवी प्रकरण ने भारतीय न्यायपालिका एवं समाज को महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के आधार पर महिला संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने “विशाखा दिशानिर्देश” जारी किए, जिनके माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नियम निर्धारित किए गए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना संवैधानिक दायित्व है। यह मामला सामाजिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है और बाद में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” की आधारशिला बना।

8 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न महत्वपूर्ण वाद विधि के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि न्यायपालिका ने समय-समय पर महिलाओं की गरिमा, समानता एवं सुरक्षा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुकेश एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) अर्थात् निर्भया प्रकरण ने महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के प्रति देशव्यापी जागरूकता उत्पन्न की तथा आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा भंवरी देवी प्रकरण ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक दिशानिर्देश प्रदान किए, जो बाद में पोश अधिनियम, 2013 का आधार बने।

इसके अतिरिक्त शायरा बानो बनाम भारत संघ ने लैंगिक समानता एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित किया। वहीं इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा ने बदलते सामाजिक संबंधों के संदर्भ में महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसी प्रकार लक्ष्मी बनाम भारत संघ ने एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास एवं सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक एवं विधिक तंत्र की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा न्यायपालिका की सक्रियता भी समान रूप से आवश्यक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए समाज में लैंगिक समानता, महिला सम्मान एवं संवेदनशीलता की भावना विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र के समन्वित एवं उत्तरदायी प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

9 सुझाव

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक तंत्र को अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. महिलाओं से संबंधित मामलों में कानूनों का कठोर एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि

अपराधियों में दंड का भय उत्पन्न हो सके।

2. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुलभ बनाया जाना चाहिए।
3. पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिलाओं के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित हो सके।
4. कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा पोश अधिनियम, 2013 का कठोर पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए, जिससे लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके।
6. एसिड अटैक, घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रशासनिक निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा पीड़ित महिलाओं को त्वरित चिकित्सा, पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में।
8. डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा तंत्र एवं कठोर कानूनी प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
9. महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने हेतु सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों के मध्य समन्वित एवं उत्तरदायी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. कुमारी, आर. (2020). भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में विधिक तंत्र का योगदान। भारतीय विधि और समाज, 12(3), 45-59.
2. शर्मा, पी. (2019). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और भारतीय न्याय प्रणाली। भारतीय न्यायिक समीक्षा, 8(2), 34-49.
3. सिंह, एस. के. (2021). भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता और विधिक सुधार। समाज और विधिक सुधार, 15(4), 102-117.
4. कुमारी, एस. (2018). भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध: सामाजिक और विधिक पक्ष। सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 10(1), 22-35.
5. रानी, आर. (2020). महिला उत्पीड़न और भारतीय दंड संहिता। विधिक अध्ययन पत्रिका, 14(2), 56-68.
6. शर्मा, एम. (2021). महिला सुरक्षा और विधिक उपाय: एक आलोचनात्मक अध्ययन। न्यायिक सुधार और महिलाओं के अधिकार, 7(1), 19-28.
7. सिंह, ए. (2017). महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए न्यायिक तंत्र की भूमिका। भारतीय न्याय और विधि विवरण, 6(3), 87-99.
8. यादव, एस. (2020). महिलाओं के अधिकारों की रक्षा: भारतीय विधि और सामाजिक सुधार। महिला सशक्तिकरण और समाज, 9(4), 133-145.
9. गुप्ता, आर. (2019). महिला सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विधिक तंत्र के पक्ष। सामाजिक न्याय और विधि, 11(2), 55-70.

10. कुमारी, पी. (2020). भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में न्यायिक सुधार की आवश्यकता। भारतीय महिला सुरक्षा विवरण, 13(2), 41-53.
11. जैन, एस. (2018). भारतीय न्याय व्यवस्था और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम। न्यायिक नीति और महिलाओं के अधिकार, 7(1), 25-38.
12. पाठक, ए. (2017). भारत में महिला उत्पीड़न: सामाजिक और विधिक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र और विधि, 9(3), 75-88.
13. रावत, एन. (2021). महिला अपराधों के विरुद्ध सामाजिक और विधिक उपाय। भारतीय समाज और विधि अध्ययन, 12(4), 113-126.
14. दत्ता, एस. (2019). आरक्षी तंत्र और महिलाओं के अधिकार: भारतीय दृष्टिकोण। आरक्षी और न्याय, 10(2), 89-104.
15. सिंह, आर. (2021). भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में न्यायिक प्रणाली की भूमिका। न्यायिक तंत्र और महिला सशक्तिकरण, 14(1), 58-70.